FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...लत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ़ जिला चूरू

वैभव आनन्द शर्मा बनाम राज0 सरकार

...मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट नम्बर मुकदमा 2~~23~~47 सन् 2019

... हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
13.10.20	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी वैभव आनन्द शर्मा पुत्र राजेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड सं. 10, मोहल्ला बागवास, मुख्य डाकघर के पीछे, कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 411 ख0नं0 1731 तादादी 5.86 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा राजगढ़, कृषि भूमि खाता सं. 412 ख0नं0 1688 तादादी 4.03 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा राजगढ़ व कृषि भूमि खाता सं. 414 ख0नं0 1673 तादादी 2.43 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी वैभव आनन्द शर्मा का गलत नाम विपिन पुत्र राजेश भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम वैभव आनन्द शर्मा पुत्र राजेश कुमार दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन करनें के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 411 ख0नं0 1731 तादादी 5.86 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा राजगढ़, कृषि भूमि खाता सं. 412 ख0नं0 1688 तादादी 4.03 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा राजगढ़ व कृषि भूमि खाता सं. 414 ख0नं0 1673 तादादी 2.43 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम विपिन पुत्र राजेश के स्थान पर वैभव आनन्द शर्मा पुत्र राजेश कुमार शुद्ध किया जाकर दर्ज किया जावे। तद्नुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।	